2010:CGHC:7158-DB

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) सं.6276 / 2009

याचिकाकर्तागण : भारत संघ एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादी : गंगा प्रसाद पाण्डेय

विचारार्थ आदेश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
आर.एन. चन्द्राकर
न्यायाधीश

माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा, न्यायाधीश

मैं सहमत हूँ।

सही/-
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश

आदेश हेतु : 16 नवम्बर, 2010 को सूचीबद्ध करे

सही/-
दिनांक: 16/11/2010

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्र. 6276 / 2009

याचिकाकर्तागण: 1. भारत संघ, द्वारा सचिव डाक सेवाएँ विभाग, नई दिल्ली

2. मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, छत्तीसगढ़ परिमंडल, रायपुर (छ.ग.) पिन 492001

3. अधीक्षक डाकघर, रायगढ़ प्रभाग, रायगढ़ (छ.ग.) पिन 496001

बनाम

उत्तरवादी: गंगा प्रसाद पाण्डेय, पिता श्री राम सिपाही पाण्डेय, आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी चंनवारीडाढ, थाना मनेंद्रगढ़, जिला कोरिया (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित: श्रीमती फौजिया मिर्ज़ा, भारत संघ की सहायक सालीसिटर जनरल याचिकाकर्ताओं की ओर से।

श्री एन. नाहा रॉय, उत्तरवादी की ओर से अधिवक्ता।

युगलपीठ: माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा एवं माननीय

श्री आर.एन. चन्द्राकर, न्यायाधीशगण

आदेश

(दिनांक 18 नवम्बर, 2010 को पारित)

न्यायालय का निम्न आदेश माननीय आर.एन. चन्द्राकर, न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया:

1. प्रस्तुत रिट याचिका द्वारा याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 20 अगस्त, 2009 को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर पीठ, सर्किट कैम्प, बिलासपुर (संक्षेप में 'अधिकरण') द्वारा पारित आदेश (अनुलग्नक-पी/1) को रद्द करने की प्रार्थना की है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उत्तरवादी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही इस आरोप पर आरम्भ की गई कि वह अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकपाल, खडगांवा (चिरमिरी) के रूप में पदस्थ

रहते हुए दिनांक 18-1-1988 से दिनांक 7-4-1988 के मध्य ₹2,224/- की धनराशि का गबन तथा दुर्विनियोग किया गया, जिसके परिणामस्वरूप सेवा से बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित किया गया। परन्तु उत्तरवादी की अपील स्वीकार कर ली गई तथा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दण्डादेश निरस्त कर नये सिरे से अनुशासनिक जांच हेतु निर्देशित किया गया। डाकघर अधीक्षक के पत्र दिनांक 30 जनवरी 2001 (अनुलग्नक-अ/4) द्वारा सेवा से पृथक करने का शास्ति लगाया गया। उक्त दंडादेश के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की गई। उत्तरवादी के विरुद्ध इसी घटना/विवरण के आधार पर दांडिक प्रकरण क्रमांक 526/2000, भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत, लंबित था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनेंद्रगढ़ के निर्णय दिनांक 19-9-2007 (अनुलग्नक-अ/5) द्वारा उसकों धारा 409, भा.दं.सं. के आरोप से इस निष्कर्ष के आधार पर दोषमुक्त कर की अभियोजन पक्ष उत्तरवादी/ अभियुक्त के विरुद्ध आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में विफल रहा है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. उत्तरवादी ने डाक विभाग अधीक्षक को दिनांक 3 अक्टूबर 2007 (अनुलग्नक-अ/6) को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें दिनांक 30 जनवरी 2001 के सेवा से पृथक करने के आदेश को अपास्त करने एवं पुनः सेवा बहाल करने की प्रार्थना की गई, यह कहते हुए कि उसे सभी आरोपों से न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है। तत्पश्चात दिनांक 14-1-2008 को उत्तरवादी ने मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, के समक्ष दिनांक 30 जनवरी 2001 के उक्त आदेश के विरुद्ध अपील (अनुलग्नक-अ/7) प्रस्तुत की, जिसमें सेवा में पुनर्स्थापन एवं सभी परिणामिक लाभ दिये जाने की प्रार्थना की गई। डाक अधीक्षक के पत्र दिनांक 8 फरवरी 2008 (अनुलग्नक-अ/1) के माध्यम से उत्तरदाता को संसूचित किया गया कि उसका अभ्यावेदन दिनांक 3 अक्टूबर 2007 परिमंडल कार्यालय को अग्रेषित कर दिया गया है, जहाँ से सूचित किया गया कि उत्तरवादी विभागीय जांच में दोषी पाये जाने के कारण दण्डादेश अधिरोपित किया गया है, इसप्रकार उसका अभ्यावेदन नस्तीबद्ध किया गया।

4. उत्तरवादी ने अधिकरण के समक्ष मूल आवेदन दायर किया तथा दिनांक 8-2-2008 के आदेश (अनुलग्नक-अ/1) को निरस्त करने की प्रार्थना की एवं आगे याचिकाकर्ताओं/उत्तरदातागण को पूर्ण वेतन के साथ पुनर्बहाली पर विचार करने हेतु निर्देश देने की प्रार्थना की। अधिकरण ने आक्षेपित आदेश द्वारा उत्तरवादी के आवेदन को स्वीकार करते हुए सेवा से पृथक करने की

दिनांक 30 जनवरी 2001 की शास्ति को रद्द किया और तत्काल प्रभाव से सेवा में पुनःस्थापना का निर्देश दिया, किन्तु वेतन बिना पिछला वेतन दिए। यह भी कहा गया कि यदि पुनःस्थापना में दो महीने से अधिक विलंब हो, तो आवेदक को वेतन तथा सभी देय बकाया एवं परिणामीक लाभ यदि वह दिनांक 21-8-2009 को पुनःबहाल हो जाता है, वह देय होंगे।

5. श्रीमती फौजिया मिर्जा, भारत सरकार की सहायक सालीसिटर जनरल (याचिकाकर्ताओं की ओर से) ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि यह स्थापित विधि है कि अनुशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में न्यायालय को प्रशासनिक निर्णय एवं दंडादेश में दखल नहीं देना चाहिए जब तक कि वह निर्णय अवैध, अनुचित प्रक्रिया से ग्रस्त या न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोरने वाला न हो, और तर्क या नैतिक मानक के प्रतिकूल न हो। उत्तरवादी का दोषमुक्त होना स्वमेंव उसे विभागीय कार्यवाही में उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं करता, क्योंकि आपराधिक एवं विभागीय कार्यवाही पूरी तरह भिन्न आधार पर संचालित होती हैं। आक्षेपित आदेश उच्चतम न्यायालय के **जी.ऍम.टैंक बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य** (2006 (4) उच्चतम 740) के निर्णय के आधार पर पारित किया गया है। तथापि, वर्तमान मामले के तथ्य पृथक हैं क्योंकि एक साक्षी, श्री एस.आर. पैकरा, जो जमाकर्ता थे और विभागीय कार्यवाही में साक्ष्य दिये, वह दांडिक विचारण कार्यवाही में गवाह नहीं थे और विभागीय प्रकरण में उत्तरवादी के विरुद्ध स्पष्ट बयान दिया था। सेवा से पृथक करने का आदेश, आरोपों को स्वीकार करते हुए पारित किया गया। उत्तरवादी द्वारा आरोप स्वीकार कर लिये जाने पर पुनः सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अधिकरण ने इस तथ्य का विचार नहीं किया कि अभियोजन द्वारा आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहने के कारण उत्तरवादी दोषमुक्त हुआ था और उसे आरोपों से सम्मानपूर्वक दोषमुक्त नहीं किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. दूसरी ओर, श्री एन. नाहा राय, उत्तरवादी की ओर से अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधिकरण ने याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों पर पूर्व में ही विचार किया है, जिसका उल्लेख आक्षेपित निर्णय के कड़िका-6 में है और यह पाया कि उत्तरवादी की वैधानिक अपील अनिर्णीत रही। याचिकाकर्ताओं ने अपने प्रत्युत्तर के कड़िका-2 में स्वीकार किया कि जिन आरोपों पर उत्तरवादी का अभियोजन हुआ, वे एक ही थे और दांडिक विचारण लगभग 17 वर्षों तक चला, जिसमें विभागीय जांच के 13 गवाहों सहित श्री शोभित राम पैकरा को छोड़कर सभी गवाहों

का परीक्षण हो चूका था। श्री शोभित राम पैकरा का परिक्षण न होना अभियोजन की त्रुटि थी। उपरोक्त परिस्थितियों में, अधिकरण द्वारा दिनांक 30 जनवरी 2001 के सेवा से पृथक करने के आदेश को निरस्त करना और उच्चतम न्यायालय के **जी.ऍम.टैंक** मामले में लिए गए निर्णय पर भरोसा कर उत्तरवादी को बिना बकाया वेतन के सेवा में पुनः बहाल करने का आदेश देना पूरी तरह से उचित था; अतः उक्त आदेश में हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है।

7. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना गया। अभिलेख एवं दंडादेश दिनांक 30 जनवरी 2001 (अनुलग्नक-अ/4) साथ ही साथ आक्षेपित आदेश का परिशीलन किया गया।

8. निर्विवाद रूप से, सेवा से पृथक करने का आदेश उत्तरवादी के विरुद्ध दिनांक 30 जनवरी 2001 को (अनुलग्नक-अ/4 के अनुसार) पारित किया गया। डाक अधीक्षक ने उपर्युक्त आदेश पारित किया, संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन कर आरोपों से संबंधित दस्तावेज, गवाहों के बयान, जांच रिपोर्ट एवं अपचारी कर्मचारी का अभ्यावेदन, यह स्थापित करते हैं कि उत्तरवादी ने विभिन्न जमाकर्ताओं से ₹2,200/- प्राप्त किये एवं विभिन्न तिथियों पर ₹24/- अधिभार लिया, किन्तु उक्त राशि को सरकारी खाते में जमा नहीं किया। जांच के दौरान अपचारी कर्मचारी ने राशि के दुर्विनियोग की बात स्वीकार कर स्वेच्छा से राशि जमा कर दी। जमाकर्ता शोभित राम पैकरा ने भी अपने बयान में आरोपों की पुष्टि की, जो दस्तावेजों से स्थापित है एवं उसी आधार पर उपरोक्त शास्ति अधिरोपित किया गया। उत्तरवादी/आवेदक ने दिनांक 30 जनवरी 2001 के सेवा से पृथक करने के आदेश के विरुद्ध दिनांक 3 अक्टूबर 2007 तक कोई अपील प्रस्तुत नहीं की। उसने अनुलग्नक-अ/6 के माध्यम से रायगढ़ डाक अधीक्षक के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया एवं पुनःस्थापना की प्रार्थना की। तत्पश्चात दिनांक 14-1-2008 को मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, रायगढ़ के समक्ष अपील (अनुलग्नक-अ/7) प्रस्तुत की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अधिकरण ने आक्षेपित आदेश उच्चतम न्यायालय के **जी.ऍम.टैंक** मामले के निर्णय पर भारी निर्भरता रखते हुए पारित किया है एवं यह पाया गया कि वर्तमान मामले के तथ्य उक्त मामले से अत्यंत निकट एवं लगभग समान हैं। उत्तरवादी को वर्ष 1982 में सजा दी गई थी, उस समय तक विचारण प्रारंभ नहीं हुआ था। वर्तमान मामले में उत्तरवादी द्वारा दिनांक 14-1-2008 को प्रस्तुत वैधानिक अपील पर कोई आदेश अभिलेख पर नहीं है जो यह दर्शाए कि उक्त अपील

पर विचार हुआ। अन्ततः तकनीकी रूप को महत्व न देकर यह माना गया कि जब आवेदक को सम्मानपूर्वक दोषमुक्त किया गया है तथा सक्षम क्षेत्राधिकार की न्यायालय द्वारा उत्तरवादी के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं पाया गया है।

10. हमारे विचारार्थ प्रश्न यह है कि क्या अधिकरण दिनांक 30 जनवरी 2001 के दंडादेश को उच्चतम न्यायालय के **जी.ऍम.टैंक** मामले के निर्णय के आधार पर निरस्त करने में उचित था?

11. **जी. एम. टैंक** के मामले में, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अपचारी अधिकारी के विरुद्ध जाँच की तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के आधार पर उसके विरुद्ध आरोप-पत्र दायर हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसने अवैध रूप से परितोषण के रूप में अतिरिक्त आय अर्जित की थी। विभागीय जांच में अपचारी अधिकारी को दोषी पाया गया और उसके पदच्युत करने का आदेश दिनांक 21-10-1982 को पारित हुआ। उक्त अपचारी अधिकारी ने अपनी बर्खास्तगी को रिट याचिका द्वारा चुनौती दी, किंतु एकल माननीय न्यायाधीश ने यह कहते हुए याचिका निरस्त कर दी कि उसके विरुद्ध पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं। इसके उपरांत उसकी लेटर पेटेंट अपील भी खंडपीठ द्वारा ख़ारिज कर दी गई। तथापि, उसकी विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition) स्वीकार करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्न अवलोकन किया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> “29. उत्तरवादीगण की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है वे तथ्यों व विधि में भिन्न हैं। इस मामले में, विभागीय कार्यवाही एवं आपराधिक प्रकरण एकसमान व एक जैसे तथ्यों पर आधारित थे तथा विभागीय प्रकरण के आरोप व दांडिक न्यायालय के आरोप, दोनों एक ही थे। यह सही है कि विभागीय कार्यवाही एवं दांडिक प्रकरण के आरोप गंभीर थे। निरीक्षण, जांच एवं आरोप पत्र में उल्लेखित सभी तथ्य, आरोप, साक्ष्य, गवाह आदि, सब एक ही थे। वर्तमान परिस्थितियों में इस मामले में, दांडिक तथा विभागीय कार्यवाहियां एक ही तथ्यों के आधार पर चलीं, जैसे आवेदक के निवास पर छापा मारना और वहां से वस्तुओं की बरामदगी। जांच अधिकारी श्री वी.बी. रावल एवं अन्य विभागीय गवाह ही वे गवाह थे, जिन्हें जांच अधिकारी ने परीक्षण

किया, और उनके बयानों के आधार पर ही यह निष्कर्ष निकाला गया कि आरोप स्थापित होते हैं। यही गवाह दांडिक कार्यवाही में भी परीक्षित हुए और दांडिक न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में संदेह से परे असफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने आवेदक को आरोप से दोषमुक्त किया। विशेष रूप से, यह ध्यान देने योग्य है कि न्यायिक निर्णय नियमित विचारण एवं विवाद के पश्चात् हुआ। ऐसी परिस्थितियों में, विभागीय कार्यवाही में दर्ज निष्कर्षों को यथावत मानना अन्यायपूर्ण एवं दंडात्मक होगा।

30. हमारे विचार में, विभागीय तथा दांडिक दोनों कार्यवाहियों में तथ्य और साक्ष्य एक समान हैं, उनमें कोई अंतर नहीं था, अतः अपीलकर्ता को सफल होना चाहिए। सामान्यतः विभागीय तथा दांडिक कार्यवाहियों में जो भेद प्रमाण एवं दृष्टिकोण के आधार पर होता है, वह इस मामले में लागू नहीं होगा। यद्यपि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विभागीय जांच में आया निष्कर्ष मान्य पाया गया, किन्तु जब अभियोग की कार्यवाही के दौरान कर्मचारी को सम्मानपूर्वक दोषमुक्त किया गया, तो उसी के अनुरूप निर्णय देना आवश्यक होगा तथा पॉल एंथनी के मामले का निर्णय (पूर्वोक्तं) लागू होगा। अतः, हम यह मत देते हैं कि अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील स्वीकृत किए जाने के योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. यदि हम उपरोक्त निर्णय के प्रकाश में वर्तमान मामले के तथ्यों की समीक्षा करें, तो स्पष्ट है कि इस मामले में, उत्तरवादी को विभागीय अनुशासनिक जाँच के आधार पर सेवा से हटाया गया है, विभागीय कार्यवाही में प्रस्तुत साक्ष्यों और इस आधार पर कि अपचारी कर्मचारी ने स्वयं राशि का दुर्विनियोग स्वीकार कर गबन किये गये राशि जमा कर दी। हमने पूर्ववर्ती अनुच्छेद में अनुशासनिक प्राधिकारी की वह टिप्पणी पहले ही उद्धत कर दी है, जिससे स्पष्ट होता है कि अनुशासनिक प्राधिकारी ने जमाकर्ता शोभित राम पैकरा के बयान पर भी विश्वास किया, जिसने उत्तरवादी के विरुद्ध आरोपों की पुष्टि की, जबकि उक्त साक्षी की दांडिक विचारण में परीक्षण नहीं हुई। हम यह भी ध्यान देते हैं कि विभागीय कार्यवाही उत्तरवादी के विरुद्ध इस आरोप के तहत आरंभ की गई थी कि उसने जमाकर्ताओं से प्राप्त राशि उनके आवर्ती जमा खाते के लिए सरकार में जमा नहीं की, जिसका अभिलेख से विधिवत रूप से स्थापित भी

हुई। अतः, वर्तमान मामले के तथ्य पूर्वोक्तं **जी.ऍम.टैंक** के मामले से पूर्णतः भिन्न एवं पृथक हैं और सम्मानित अधिकरण उच्चतम न्यायालय के निर्णय (**जी.ऍम.टैंक**) के आधार पर आक्षेपित आदेश पारित करने में उचित नहीं था।

13. यह स्थापित विधि है कि अनुशासनिक या अपील प्राधिकारी द्वारा दंडादेश के विरुद्ध न्यायिक पुनर्विलोकन का क्षेत्र अत्यंत सीमित है तथा न्यायालय को आमतौर पर प्रशासनिक निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि वह निर्णय अवैध, या प्रक्रिया संबंधी त्रुटि से ग्रस्त न हो अथवा न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोरने वाला न हो, इस अर्थ में कि वह तर्क या नैतिक मानक की प्रतिकूलता में हो। (देखें: वि. रामना बनाम ए.पी.एस.आर.टी.सी. एवं अन्य बनाम, (2005) 7 एस.एस. सी. 338; चेयरमैन एंड मनैजिंग डारेक्टर, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक एवं अन्य बनाम पी.सी. कक्कर, (2003) 4 एस.एस.सी. 364)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. यह स्थापित विधि है कि विभागीय कार्यवाही में आवश्यक प्रमाण का स्तर आपराधिक आरोप सिद्ध करने के प्रमाण के स्तर के समान नहीं होता तथा यदि आपराधिक कार्यवाही में दोषमुक्ति हो, तब भी वह विभागीय कार्यवाही पर प्रतिबंध नहीं लगाती। (देखें: नोएडा उद्यमी संघ बनाम नोएडा एवं अन्य, (2007) 10 एस.एस.सी. 385; डिविजनल कंट्रोलर, जी.एस.आर.टी.सी. बनाम कदर्भाई जे. सुथार, (2007) 10 एस.एस. सी. 561)

15. वर्तमान मामले में, सेवा से पृथक करने का आदेश भी उत्तरवादी द्वारा आरोप की स्वीकृति को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया है।

16. यह भी स्थापित विधि है कि यदि यह पाया जाए कि विभागीय कार्यवाही में सभी प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताओं का पालन किया गया है और तत्पश्चात दंडादेश पारित किया गया है, तो न्यायालय सामान्यतः ऐसे अपचारी कर्मचारी पर लगाए गए दंड के परिमाण में हस्तक्षेप नहीं करता, जैसा कि चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक, वी.एस.पी. एवं अन्य बनाम गोपराजू श्री प्रभाकरा हरि बाबू (2008) 5 एस.एस.सी. 569 के मामले में कहा गया है।

17. उपर्युक्त विचार-विमर्श के आधार पर, हमारा मत है कि आक्षेपित आदेश संधारणीय नहीं रह सकता; यह अपास्त किये जाने योग्य है और तदनुसार अपास्त किया जाता है।

18. तदनुसार, याचिका स्वीकार की जाती है।

सही/-
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश

सही/-
आर.एन. चन्द्राकर
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है कि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Rituraj Burman

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur